जनपद – संतकबीरनगर　　　　**प्रेस विज्ञप्ति**　　　　***दिनाँक 09.02.2024***

आज दिनांक 09.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 02 वारण्टी नाम पता 1- बैतुल्ला पुत्र तफजुल हुसैन निवासी चोरहा 2- संतराम पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी भँगुरा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय कुमार, हे0का0 हरिनारायण प्रसाद, का0 मुकेश कुमार ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत केशवापुर से इवेन्ट संख्या 12474 से कालर द्वारा बाईक लेकर गड्ढे में गिर जाने का कारण 01 व्यक्ति (**गोविन्द यादव पुत्र फेकू यादव निवासी जोगिया थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* उ0नि0 श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी, आ0 इन्द्रजीत वर्मा, हो0चा0 सुरजीत कुमार ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 60 वाहनों से 49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 60 वाहनों से 49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 09.02.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 03 जोड़ी हवाई चप्पल, 01 जोड़ी स्पोर्ट शूज, 01 अदद सन ग्लास, 10 अदद फ्लेयर रीटो मीटर पेन व एक डिब्बी में 01 जोड़ी इयर बड्स व 670 रु0 नकद के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 20.11.2023 को वादी प्रदीप कुमार पुत्र जयराम गुप्ता निवासी मुखलिसपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि जिला चिकित्सालय परिसर में दवा इलाज के दौरान अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनकी जेब से 11000 रु0 चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1123/2023 धारा 380 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 30.01.2024 को ई-कॉम एक्सप्रेस लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी वादी विनीत कुमार पाण्डेय निवासी बनियाबारी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 29.01.2024 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा मड़या चौराहा स्थित आफिस का पिछला दरवाजा तोड़कर पार्सल हेतु रखे सामान चोरी कर लिए तथा कम्प्यूटर मानीटर तोड़ दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/24 धारा 457/380/427 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण के निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद पटेल*** के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी की 03 जोड़ी हवाई चप्पल, 01 जोड़ी स्पोर्ट शूज, 01 अदद सन ग्लास, 10 अदद फ्लेयर रीटो मीटर पेन व एक डिब्बी में 01 जोड़ी इयर बड्स व 670 रु0 नकद के साथ 01 अभियुक्त अभियुक्त मनीष यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी मेहदावल बाईपास ट्यूबवेल कालोनी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर को HRPG कालेज से आगे हाइवे तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मनीष यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी मेहदावल बाईपास ट्यूबवेल कालोनी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

बरामदगी-

03 जोड़ी हवाई चप्पल, 01 जोड़ी स्पोर्ट शूज, 01 अदद सन ग्लास, 10 अदद फ्लेयर रीटो मीटर पेन व एक डिब्बी में 01 जोड़ी इयर बड्स व 670 रु0 नकद (मु0अ0सं0 1123/23 से सम्बन्धित)।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.01.2024 की रात में मड़या चौराहे के पास एक कोरियर कम्पनी के पीछे का दरवाजा तोड़कर घुस कर बहुत सारे पैकिटों मे रखे सामान चोरी किये थे, वहां पर CCTV कैमरा भी लगा था तो कैमरे से बचने के लिए टी0वी0 को तोड़ दिया था। अभियुक्त द्वारा बरामद रुपए के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि करीब ढाई पौने तीन महीने पहले जिला अस्पताल खलीलाबाद से दिन मे एक व्यक्ति की पिछली जेब से 11000/-रू0 (ग्यारह हजार रूपये) चोरी किए थे, सारे पैसे खर्च हो गये है केवल उन पैसो में से 670 रू0 बचे थे।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल– उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, उ0नि0 श्री दुर्गविजय सिंह, का0 विनोद मौर्या, का0 जनार्दन, हे0का0 बृजकिशोर गुप्ता, का0 सर्वेश मिश्रा , का0 दीपक व का0 अनिल कुमार साहनी।

जनपद-संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 09.02.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शस्त्र अधिनियम व गोवध निवारण अधिनियम के तहत 02 अभियोगों में 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि तथा कुल 1300 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 09.02.2024 को ***सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत 01- मु0अ0सं0 466/2008 धारा – 4/25 शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता - सुबाष पुत्र रामबदन साकिन पूरैना थाना दुधारा संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 05 दिवस के साधारण कारावास का दण्ड भोगना होगा।

02- मु0अ0सं0 175/1993 धारा – 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 41/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता - गुल्ला पुत्र जहीर कसाई साकिन साफियाबाद थाना दुधारा संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 41/411 भादवि के अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि व 300 रु0 के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिवस के साधारण कारावास का दण्ड भोगना होगा।

जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 09.02.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 08 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 09.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 08 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना मेंहदावल*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 08 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।